न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 240/2021
3. उनवान : सरकार जरिये महेन्द्र सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

मैसर्स महिला सहकारी समिति लि. उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत चीथवाडी वार्ड नं. 11 से 15 तहसील चौमू जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 14.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, उपखण्ड चौमू, जयपुर ग्रामीण श्री महेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 28.11.2012 को जांच हेतु मैसर्स महिला सहकारी समिति लि. उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत चीथवाडी वार्ड नं. 11 से 15 तहसील चौमू जिला जयपुर पर पंहुचे। दौराने जांच दुकान के व्यपस्थापक की उपस्थिति में दुकान के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार डीलर के पास बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अन्त्योदय योजना का 20.45 क्विंटल गेहूं स्टॉक में होना चाहिये था जबकि भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 23.45 क्विंटल गेहूं पाया गया। इस प्रकार स्टॉक में अधिक पाये गये 3 क्विंटल गेहूं सम्बन्ध में डीलर द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इसलिये मौके से स्टॉक में अधिक पाये गये 3 क्विंटल गेहूं को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने दिनांक 07.02.2023 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जब्त स्टॉक से अधिक गेहूं ग्राहकों का ही था। कुछ ग्राहकों ने जरुरी काम के कारण कहीं अन्यत्र जाना बताकर गेहूं शाम को ले जाने की बात कही थी। अप्रार्थी गेहूं की कालाबाजारी नहीं कर रहा था। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र को ही बहस मानते हुये प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 14.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 28.11.2012 को अप्रार्थी की उचित की मूल्य की दुकान मे जांच के दौरान, भौतिक सत्यापन में स्टॉक रजिस्टर से अधिक मात्रा में मिले सरकारी योजनाओं के पात्र परिवारों को वितरित किये जाने वाले गेहूं को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाव भी नहीं दिया गया, ना ही उक्त जब्त गेहूं के सम्बन्ध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिससे यह प्रतीत होता है कि डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को कम तौल कर या पात्र व्यक्तियों को वितरण नहीं कर कालाबाजारी की नियत से सरकारी योजनाओं का गेहूं बचाकर रखा गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त 3 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।